



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2020-भाद्र 20, शके 1942

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) CIN: U40109MP2001SGC014880

मुख्य अभियन्ता( योजना एवं रूपांकन )

जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2020

क्र.-04-02/195/यो.रूपां./1206.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अतिउच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) नाम : ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.
- (2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण एवं राज्य शासन की सहभागिता से प्रस्तावित पारेषण कार्य :-

(I) 400 के.व्ही. के कार्य :-

(i) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं बस रिएक्टर का कार्य :-

400 केव्ही उपकेंद्र किरनापुर में 1x100 एमव्हीए 400/132 केव्ही ट्रांसफार्मर एवं 1x125 एमव्हीएआर बस रिएक्टर की स्थापना का कार्य, अनुमानित लागत-3000 लाख रु.

(II) 220 के.व्ही. के कार्य :-

(i) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :-

1. 220/132 केव्ही. उपकेंद्र नागदा में 160 एमव्हीए क्षमता का एक नम्बर स्पेयर पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1000 लाख रु.
2. 220/33 केव्ही. उपकेंद्र नागदा में 50 एमव्हीए क्षमता का एक नम्बर स्पेयर पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-500 लाख रु.

**( III ) वर्तमान में स्थापित लाइन के सुदृढीकरण का कार्य :-**

1. ग्वालियर-दतिया 220 केव्ही. लाइन का 765 केव्ही. उपकेन्द्र ग्वालियर (पीजीसीआईएल) के लिए लीलो कार्य, लंबाई 10 कि.मी. अनुमानित लागत - 1200 लाख रु.
2. 132 केव्ही. छतरपुर-नौगाँव लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य के साथ छतरपुर-बिजावर टेप लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई 25 कि.मी. अनुमानित लागत - 650 लाख रु.
3. सागर-बीना 132 केव्ही. लाइन का 132 केव्ही. उपकेन्द्र खुरई के लिए लीलो कार्य, लंबाई 1 कि.मी. अनुमानित लागत - 160 लाख रु.
4. आष्टा (400)-एसईएल 132 केव्ही. लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य एवं 132 केव्ही. डीसीएसएस जावरजोड़ तक लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-20+5 कि.मी. अनुमानित लागत - 860 लाख रु.
5. 132 केव्ही. उपकेन्द्र कानाठेर के लिये ग्वालियर- II(132)-हस्तिनापुर 132 केव्ही. डीसीएसएस लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य लंबाई-23 कि.मी. अनुमानित लागत - 600 लाख रु.
6. सतना-पन्ना 132 केव्ही. लाइन का नागौद के लिए लीलो कार्य, लंबाई 2 कि.मी. अनुमानित लागत -193 लाख रु.
7. नागौद से पवई तक 132 केव्ही. डीसीएसएस लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लंबाई- 59 कि.मी. अनुमानित लागत -1517 लाख रु.
8. दमोह-पटेरा 132 केव्ही. डीसीएसएस लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लंबाई- 30 कि.मी. अनुमानित लागत -800 लाख रु.
9. कटनी (400)-स्लीमनाबाद 132 केव्ही. डीसीएसएस लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य (साथ ही 09 नग 132 केव्ही. सिंगल सर्किट टॉवर को डबल सर्किट टॉवर में बदलने का कार्य), लंबाई- 30 कि.मी. अनुमानित लागत -1470 लाख रु.
10. कटनी-मनसकरा 132 केव्ही. लाइन का 132 केव्ही. उपकेन्द्र स्लीमनाबाद के लिए लीलो कार्य, लंबाई 02 कि.मी. अनुमानित लागत - 210 लाख रु.
11. निमरानी (220)-कसरावद 132 केव्ही. डीसीएसएस लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लंबाई 12 कि.मी. अनुमानित लागत -320 लाख रु.
12. शाजापुर-गमेसा विंड प्रोजेक्ट 132 केव्ही. लाइन का चौबारा धीरा के लिए लीलो कार्य, लंबाई 15 कि.मी. अनुमानित लागत - 1320 लाख रु.

**( IV ) 220 केव्ही. एवं 132 केव्ही. फीडर बे का निर्माण कार्य :-****( i ) 220 केवी. फीडर बे:-**

ग्वालियर (पीजीसीआईएल) 765 केव्ही. (2), सागर 400(2), कुल 04 नंबर, अनुमानित लागत-1500 लाख रु.

**( ii ) 132 केवी. फीडर बे:-**

बहादुरपुर (1), बड़गाँव (1), बैहर (2), नौगाँव (1), दिगौड़ा (1), पृथ्वीपुर (1), खुरई (2), सुल्तानपुर (1), आष्टा 400 (1), गैरतगंज (4), बरेली (1), शाहगंज (1), अशोकनगर (1), आरोन (1) हस्तिनापुर (2), ग्वालियर-II 220 (1), मुगलियाछाप 220(2), मालनपुर 220(2), राहतगढ़(1), सिलवानी(1), ग्यारसपुर(1), खुजनेर(1), नलखेड़ा 220 (1), छिन्दवाड़ा 220(1), बिछुआ(1), नागौद(3), पवई(1), पन्ना(2), लवकुशनगर (लौंडी)(1), पटेरा (2), दमोह(1), हट्टा(1), मउगंज(1), मनगंवा(1), स्लीमनाबाद (4), कटंगी(1), कटनी 400(1), देवनगर(1), अमरवाड़ा(1), निमरानी 220(1), कसरावद(3), सोनकच्छ(1), पीथमपुर 220(2), कुल 61 नंबर फीडर बे, अनुमानित लागत-6100 लाख रु.

**( VI ) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :-**

1. सरदार सरोवर डेम के डूब क्षेत्र में आने के कारण 132 केव्ही. एकल परिपथ बड़वानी-कुक्षी लाइन का लोके. क्र.222 से लोके. क्र. 343 तक जनहित में विघटन का कार्य, 1x24 कि.मी., अनुमानित लागत-127.59 लाख रु.

2. ए. सी. सी. लिमिटेड कैमोर के सीमेन्ट प्लांट को 33 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति से संबद्ध विद्युत संचार प्रणाली के उन्नयन हेतु 132 के.व्ही. सतना-कैमोर डीसीडीएस लीलो लाइन के द्वितीय परिपथ को 220 के.व्ही. उपकेन्द्र मैहर में लिलो करने हेतु 132 के.व्ही. डीसीडीएस का निर्माण कार्य, 2x1 कि.मी., अनुमानित लागत-279.67 लाख रु.
3. मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड के ग्राम अमेठा, तहसील एवं जिला-कटनी में सीमेन्ट प्लान्ट को 132 के.व्ही. विभव पर 33 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कैमोर से 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण कार्य, 1x12.0 कि.मी., अनुमानित लागत-878.00 लाख रु.
4. दक्षिण मध्य रेल्वे के अकोला-खण्डवा रेल लाइन के अमलकुर्द-खण्डवा भाग में रेल लाइन का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में किये जा रहे परिवर्तन के कारण 220 के.व्ही. डीसीडीएस ऑमकारेश्वर/छैगांव-खण्डवा लाइन के लोके.क्र. 60 से 65 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, 2x1.3 कि.मी., अनुमानित लागत-304.87 लाख रु.
5. दक्षिण मध्य रेल्वे के अकोला-खण्डवा रेल लाइन के अमलकुर्द-खण्डवा भाग में रेल लाइन का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में किये जा रहे परिवर्तन के कारण 220 के.व्ही. डीसीडीएस छैगांव/नेपानगर-खण्डवा लाइन के लोके.क्र. 52 से 56 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, 2x1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-270.00 लाख रु.
6. जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट हेतु 5 एम.व्ही.ए. पॉवर सप्लाई के लिये 132 के.व्ही. डीसीएसएस रीवा 132-जे.पी. रीवा प्लांट लाइन का मरम्मत/पुनरुद्धार कार्य, 1x11 कि.मी., अनुमानित लागत-75.45 लाख रु.
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस कोटा-मोडक/भानपुरा लाइन का लोके.क्र.505 से 509 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-221.11 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस भानपुरा-निपनिया/सुवासरा लाइन का लोके.क्र. 490 से 496 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x2.3 कि.मी., अनुमानित लागत-326.12 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस भानपुरा-निपनिया/सुवासरा लाइन का लोके.क्र. 447 से 457 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x3.4 कि.मी., अनुमानित लागत-489.92 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

10. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस सुवासरा-गौधीसागर/गरोठ लाइन का लोके.क्र. 171 से 176 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.7 कि.मी., अनुमानित लागत-143.55 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

11. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस भानपुरा-सुवासरा लीलो निपानिया लाइन का लोके.क्र. 39 से 44 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-274.05 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

12. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस आलोट-सीतामऊ लाइन का लोके.क्र. 110 से 113 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1 कि.मी., अनुमानित लागत-121.91 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

13. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस नागदा-नीमच/दलोदा लाइन का लोके.क्र. 115 से 118 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-155.18 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

14. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. सिंगल सर्किट रतलाम-जावरा सर्किट-1 लाइन का लोके.क्र. 85 से 90 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-165.12 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

15. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. सिंगल सर्किट रतलाम-जावरा सर्किट-2 लाइन का लोके.क्र. 79 से 83 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-110.03 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

16. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस. रतलाम-दलोदा लाइन का लोके.क्र. 77 से 82 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.6 कि.मी., अनुमानित लागत-184.76 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

17. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. नगरा-भैंसादावर (क्षेमा पावर) लाइन के लोके.क्र. 27 से 29 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x0.7 कि.मी., अनुमानित लागत-120.27 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

18. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीएसएस रतलाम-सैलाना लाइन का लोके.क्र. 61 से 64 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 1x1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-112.72 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

19. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. गाँधीसागर-गरोठ/सुवासरा डीसीडीएस लाइन को 220 के.व्ही. उपकेन्द्र भानपुरा में लीलो हेतु निर्मित 132 के.व्ही. एफ.सी.एफ.एस. लाइन के लोके.क्र. 30 से 35 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 4x1.6 कि.मी., अनुमानित लागत-385.56 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

20. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस गुजरखेड़ी (रम्स)-मन्दसौर (सीतामऊ) लाइन का लोके. क्र. 15 /22 से 16/0 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-242.13 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

21. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 400 के.व्ही. डीसीडीएस नागदा-मन्दसौर (सीतामऊ) लाइन का लोके. क्र. 41/1 से 41/4 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-494.51 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

22. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीएसएस नागदा-खॉचरोद जावरा लाइन का लोके. क्र. 21/5 से 22/2 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x2.1 कि.मी., अनुमानित लागत-200.73 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

23. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस सैलाना (400 के.व्ही. उपकेन्द्र)-रतलाम (220 के.व्ही. स्वचिंग उपकेन्द्र नगरा) लाइन का लोके. क्र. 26/3 से 26/8 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-192.18 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

24. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस मंदसौर (सीतामऊ)-निपनिया लाइन का लोके. क्र. 10/5 से 11आर/0 (पुराना लो.क्र.11/1) के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.7 कि.मी., अनुमानित लागत-281.66 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

25. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस मंदसौर (सीतामऊ)-निपनिया लाइन का लोके. क्र. 27/5 से 27/10 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.7 कि.मी., अनुमानित लागत-247.42 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

26. एमपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमि. द्वारा इन्दौर शहर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस इन्दौर (नार्थ-जोन)-जैतपुरा/मांगलिया लाइन एवं 132 के.व्ही. इन्दौर (नार्थ जोन)-जैतपुरा लाइन को संयुक्तरूप से मल्टी सर्किट टॉवर/मोनोपोल के माध्यम से लोके. क्र. 148 से 152 तक इन्दौर शहर के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र, एम. आर.-10 क्षेत्रों में लाइन का संशोधन/विस्थापन कार्य 4x1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-1383.94 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

27. एमपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमि. द्वारा इन्दौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. इन्दौर (साउथ-जोन)-चम्बल लाइन (132 के.व्ही. उपकेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक काम्पलेक्स एवं 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सत्यसाई से होकर) के लोके. क्रमांक 14 से 35 तक इन्दौर शहर के इलेक्ट्रॉनिक काम्पलेक्स, वीणा नगर, सुखलिया, बापट चौराहा, मेघदूत गार्डन, स्कीम नं.-54, सयाजी चौराहा, विजय नगर चौराहा, सत्य साई उपकेन्द्र, शीतल नगर, सेक्टर-सी इत्यादि क्षेत्रों में लाइन का संशोधन/विस्थापन कार्य 2x7.1 कि.मी., अनुमानित लागत-3333.28 लाख रु.

**( पूर्व प्रकाशन का संशोधन )**

28. मेसर्स माधव मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड, जबलपुर की भूमि से गुजरने वाली 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. जबलपुर-नरसिंगपुर लाइन का लोक क्रमांक 07 से 10 तक विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-267.87 लाख रु.
29. मेसर्स माधव मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड, जबलपुर की भूमि से गुजरने वाली 132 के.व्ही. सिंगल सर्किट जबलपुर-नरसिंगपुर लाइन का लोक क्रमांक 09 से 14 तक विस्थापन/संशोधन कार्य 2x1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-102.91 लाख रु.
30. रेल विद्युतीकरण कोटा के द्वारा मध्य रेलवे के रतलाम-फतेहाबाद-लक्ष्मीबाईनगर रेल अनुभाग के प्रस्तावित विद्युतीकरण के फलस्वरूप रेलवे चैनेज् 379/14-15 पर पार कर रही 220 के.व्ही. डीसीएसएस रतलाम-बड़नगर लाइन के सस्पेन्सन टॉवर के स्थान पर टेनशान् टावर स्थापित करने लोकेशन क्रमांक 385 से 387 के मध्य संशोधन/विस्थापना कार्य, 2x0.6 कि.मी., अनुमानित लागत-64.56 लाख रु.
31. जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्तावित छीताखुर्दी मध्यम सिंचाई परियोजना के फलस्वरूप 220 के.व्ही. जबलपुर-अमरकंटक लाइन का लोके क्रमांक 176 से 190 तक विस्थापन/संशोधन 2x10 कि.मी., अनुमानित लागत-1201.07 लाख रु.
32. मेसर्स मेगनीज् ओर इंडिया लिमिटेड की 12.8 एमव्हीए अनुबाधित माँग की आपूर्ति हेतु स्थापित 3 नग उच्च दाब विद्युत संयोजन को 33 के.व्ही. विभव से 132 के.व्ही. विभव पर परिवर्तित करने हेतु 400 के.व्ही. उपकेन्द्र किरनापुर से मेसर्स मेगनीज् ओर इंडिया लिमिटेड के प्लान्ट तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाइन का निर्माण 1x50 + 4x0.3 कि.मी., अनुमानित लागत-3744.01 लाख रु.
33. जल संसाधन विभाग राजगढ़ के कुन्डलिया सिंचाई परियोजना (बाँयी तट नहर) के ग्राम कोठड़ी, तहसील-कालापपीपल, जिला साजापुर के पास प्रस्तावित पम्प हाउस को विद्युत आपूर्ति हेतु 220के.व्ही. उपकेन्द्र नलखेड़ा 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x9-0 + 2x1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1201.07 लाख रु.
34. जल संसाधन विभाग के कुन्डलिया सिंचाई परियोजना (दाँयी तट नहर) के ग्राम मून्दी, तहसील-जीरापुर, जिला राजगढ़ के पास प्रस्तावित पम्प हाउस को 220के.व्ही. उपकेन्द्र नलखेड़ा से विद्युत आपूर्ति हेतु 132के.व्ही. डी.सी.एस.एस. नलखेड़ा 220-पम्प हाउस, कोठड़ी (बाँयी तट नहर) लाइन के द्वितीय परिपथ एवं तत्पश्चात् पम्प हाउस, मून्दी (दाँयी तट नहर) तक 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण 1x16 +8 (द्वितीय परिपथ) कि.मी. अनुमानित लागत-1081.00 लाख रु.

35. नर्मदा विकास संभाग-8 सनावद जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस-1 एवं 2 (ग्राम-बडोल, तहसील-बडवाहा, जिला खरगोन) को 220के.व्ही. उपकेन्द्र बडवाहा, जिला- खरगोन से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x34.0 कि.मी., अनुमानित लागत-3359.00 लाख रु.
36. नर्मदा विकास संभाग-8 सनावद जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस-3 तथा 4 को विद्युत आपूर्ति हेतु 220के.व्ही. उपकेन्द्र चापड़ा से पम्प हाऊस-4 (ग्राम-धोबघत्ता, तहसील-बागली, जिला देवास) तक 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाइन एवं इसके आगे पम्प हाऊस-3 (ग्राम-अंजनखूट, तहसील-बागली, जिला देवास) तक 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 2x29.0 + 1x8.0 कि.मी., अनुमानित लागत-4026.00 लाख रु.
37. नर्मदा विकास संभाग-8 सनावद जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस-5 (ग्राम-भानगढ़, तहसील-बागली, जिला देवास) को 132 के.व्ही. उपकेन्द्र शंकरगढ़ से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x6 कि.मी., अनुमानित लागत-408.00 लाख रु.
38. नर्मदा विकास संभाग-14 ठीकरी, तहसील-ठीकरी, जिला बड़वानी (एन.व्ही.डी.ए.) के नागलवाड़ी सूक्ष्म उद्वहन योजना (नागलवाड़ी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट) के अंतर्गत प्रस्तावित कुल 7 नग पम्प हाऊसों को ग्राम-अजंदी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी में 400 के.व्ही. उपकेन्द्र जुलवानिया, जिला खरगोन से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण, 1x20.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1529.00 लाख रु.
39. नर्मदा विकास संभाग-21 सनावद, जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के भीकनगाँव-बिंजलवाड़ा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम) को विद्युत आपूर्ति से संबद्ध विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु विद्यमान 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छेगाँव-खरगोन लाइन के द्वितीय परिपथ को 132के.व्ही. उपकेन्द्र अन्दद, जिला खरगोन में लिलो करने हेतु 132के.व्ही. डी.सी.डी.एस. लाइन का निर्माण 2x8.0 कि.मी., अनुमानित लागत-789.00 लाख रु.
40. नर्मदा विकास संभाग-21 सनावद, जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के भीकनगाँव-बिंजलवाड़ा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम) के अंतर्गत पम्प हाऊस-2 (ग्राम-बावड़िया, तहसील बड़वाहा, जिला खरगोन) एवं पम्प हाऊस-3 (ग्राम-पिपलिया बुजुर्ग, तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन) को 132 के.व्ही. उपकेन्द्र अन्दद, जिला खरगोन से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x32.0 कि.मी., अनुमानित लागत-2077.00 लाख रु.
41. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र छनेरा से नर्मदा विकास संभाग-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (एन.व्ही.डी.ए.) के जावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना के अंतर्गत ग्राम सुरवड़िया, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा में प्रस्तावित पम्प हाऊस क्रमांक-1 तक 132 के.व्ही.डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x15.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1355.00 लाख रु.
42. नर्मदा विकास संभाग-25, नर्मदानगर, जिला खण्डवा (एन.व्ही.डी.ए.) के इंदिरा सागर परियोजना (आइ.एस.पी.)-पार्वती लिंक (चरण-1 एवं 2) अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम) को विद्युत आपूर्ति से संबद्ध विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु विद्यमान 132 के.व्ही.डी.सी.एस.एस. हंडिया-सतवास लाइन के द्वितीय परिपथ का निर्माण 35.0 (द्वितीय परिपथ) कि.मी. अनुमानित लागत-718.67 लाख रु.
43. नर्मदा विकास संभाग-25, नर्मदानगर, जिला खण्डवा (एन.व्ही.डी.ए.) के इंदिरा सागर परियोजना (आइ.एस.पी.)-पार्वती लिंक (चरण-1 एवं 2) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम) के ग्राम फतेहगढ़, तहसील कन्नोद, जिला देवास में प्रस्तावित पम्प हाऊस-1 को 220 के.व्ही. उपकेन्द्र हण्डिया से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही.डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x30.0 कि.मी., अनुमानित लागत-2024.00 लाख रु.
44. नर्मदा विकास संभाग-25, नर्मदानगर, जिला खण्डवा (एन.व्ही.डी.ए.) के इंदिरा सागर परियोजना (आइ.एस.पी.)-पार्वती लिंक (चरण-1 एवं 2) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम) के ग्राम मालेगाँव, तहसील कन्नोद, जिला देवास में प्रस्तावित पम्प हाऊस-2 को 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सतवास से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही.डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x6.0 कि.मी., अनुमानित लागत-404.00 लाख रु.
45. नर्मदा विकास संभाग-25, नर्मदानगर, जिला खण्डवा (एन.व्ही.डी.ए.) के इंदिरा सागर परियोजना (आइ.एस.पी.)-पार्वती लिंक (चरण-1 एवं 2) अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम) के ग्राम जागठा, तहसील कन्नोद, जिला देवास में प्रस्तावित पम्प हाऊस-3 एवं ग्राम जमुनिया, तहसील कन्नोद, जिला देवास में प्रस्तावित पम्प हाऊस-4 को 400 के.व्ही. उपकेन्द्र आष्टा से विद्युत आपूर्ति हेतु 400 के.व्ही. उपकेन्द्र आष्टा से पम्प हाऊस-4

तक 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. लाइन एवं तत्पश्चात् पम्प हाऊस-4 से पम्प हाऊस-3 तक 132 के.व्ही.डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 2x36.0+ 1x5.0 कि.मी., अनुमानित लागत-3298.00 लाख रु.

46. नर्मदा विकास संभाग-32, बड़वाहा, जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के आई.एस.पी- कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट (फेस-1) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम) को विद्युत आपूर्ति से संबद्ध विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु विद्यमान 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. छेगाँव (400 के.व्ही. उपकेन्द्र)-मून्दी लाईन के द्वितीय परिपथ का निर्माण 45.0 (द्वितीय परिपथ) कि.मी. अनुमानित लागत-943.51 लाख रु.
47. नर्मदा विकास संभाग-32, बड़वाहा, जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के आई.एस.पी.- कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट (फेस-1) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम) के अंतर्गत ग्राम नर्मदानगर, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा में प्रस्तावित पम्प हाऊस-1 एवं 2 को 132 के.व्ही. उपकेन्द्र मून्दी से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x42.0 कि.मी., अनुमानित लागत-4357.00 लाख रु.
48. नर्मदा विकास संभाग-32, बड़वाहा, जिला खरगोन (एन.व्ही.डी.ए.) के आई.एस.पी.- कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट (फेस-1) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम) के अंतर्गत ग्राम बोरखाल्या, तहसील बागली, जिला देवास में प्रस्तावित पम्प हाऊस-3 एवं ग्राम तुमरीखेड़ा, तहसील बागली, जिला देवास में प्रस्तावित पम्प हाऊस-4 को 220 के.व्ही. उपकेन्द्र चापड़ा से विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के.व्ही. उपकेन्द्र चापड़ा से पम्प हाऊस-4 तक 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. लाइन एवं तत्पश्चात् पम्प हाऊस-4 से पम्प हाऊस-3 तक 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 2x16+ 2x33 कि.मी., अनुमानित लागत-4005.00 लाख रु.
49. एस.एस.पी.आई.यू. श्यामगढ़, जिला मन्दासौर की ग्राम किलगारी, तहसील श्यामगढ़, जिला मन्दासौर में प्रस्तावित श्यामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 220 के.व्ही. उपकेन्द्र निपनिया से 54.5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 200 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण 1x15.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1109.00 लाख रु.

#### (VII) कुल अनुमानित लागत :-

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 975.86 करोड़ है.

#### (3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

एस. के. गायकवाड़,

मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.),  
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,  
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर..

(172-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पूर्व में कुशाग्र आंजना पिता श्री महेश आंजना, निवासी ग्राम ढाबला रेहवारी, जिला उज्जैन (म.प्र.) था, अब दिनांक 27-08-2020 से मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर विक्रमादित्य आंजना पिता श्री महेश आंजना कर दिया है. अतः अब मेरे पुत्र को उसके इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

महेश आंजना

पता-ग्राम ढाबला रेहवारी, जिला उज्जैन.

(193-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र का नाम अंश खरे है, जिसे अब हम बदलकर नभ्य खरे (Nabhyya Khare) करना चाहते हैं. अतः अब से मेरे पुत्र को उसके समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नये नाम नभ्य खरे से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

**मनीष खरे,**  
(पिता).

एल.आई.जी., बी/52, बांधवगढ़ कॉलोनी,  
शिव मंदिर के पीछे, सतना (म.प्र.) 485001.

(179-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, जुग्गा प्रसाद अहिरवार तनय श्री सरियां प्रसाद अहिरवार, आयु 55 वर्ष, निवासी टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश का होकर शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं, पी.एच.ई. शाखा बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर में प्रभारी सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ हूँ
2. यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम एवं मेरे पेन कार्ड एवं सेवा पुस्तिका एवं बैंक पासबुक, पात्रता सूची आदि शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम जुग्गा प्रसाद अहिरवार (जे.पी.) लेख है.
3. यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी भारत निर्वाचन आयोग परिचय-पत्र में मेरा नाम जे.पी. प्रभाकर लेख है व उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं व उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है व मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम एवं जी.पी.एफ. पासबुक में भारत निर्वाचन आयोग परिचय-पत्र अनुसार अपना नाम सुधार कर जुग्गा प्रसाद अहिरवार की जगह पर जे.पी. प्रभाकर नाम लेख किया जावे, जो कि सत्य व सही है.

पुराना नाम :

**( जुग्गा प्रसाद अहिरवार )**

तनय सरियां प्रसाद अहिरवार.

(180-बी.)

नया नाम :

**( जे. पी. प्रभाकर )**

तनय सरियां प्रसाद अहिरवार,

निवासी-टीकमगढ़, तह.टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).

### CHANGE OF NAME

I, Service No.15693422Y Rank NK Satish Rathore It is Submitted That I have been enrolled in the Army 12 April 2004 During Enrollment I had produced my Matric Certificate on with my name was Shatish Kumar Rathore, I have now Changed My Name Metric Certificate as Satish Rathore in the Board Office at Madhyamic Shiksha Mandal, Bhopal (M.P.) .

Old Name :

**(SHATISH KUMAR RATHORE)**

(181-B.)

New Name :

**(SATISH RATHORE)**

### नाम परिवर्तन

मैं, सोनम प्रजापत पिता मुन्नालाल प्रजापत उम्र 27 साल, निवासी प्रजापत गली नं. 02, सनावद, तह. सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश की निवासी हूँ. मेरा तहसील सनावद के ग्राम रूपखेडा प.ह.नं 41 में सर्वे नंबर 185, 186, 188, 189, 190, 192/2, 201, 202, 203/1, 203/4, 204, 205 कुल रकबा 1.117 हे. की भूमि मेरे एवं अन्य सहखातेदार के नाम से दर्ज है. उक्त कृषिभूमि राजस्व पत्रकों में मेरे बचपन का नाम सोनू दर्ज किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे समस्त दस्तावेज अंकसूची, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता परिचय-पत्र व मूलनिवासी प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज पर मेरा नाम सोनम प्रजापत पिता मुन्नालाल लिखा है इसलिए उक्त कृषि भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम सोनू के स्थान पर सोनम प्रजापत पिता मुन्नालाल प्रजापत पढ़ा एवं लिखा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

**( सोनू प्रजापत )**

(182-बी.)

नया नाम :

**( सोनम प्रजापत )**

पिता मुन्नालाल प्रजापत,  
निवास पता-प्रजापत गली नं. 02, सनावद,  
तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) 451111.



**नाम परिवर्तन**

मैं, नर्मदा प्रजापत पिता मुन्नालाल प्रजापत उम्र 22 साल, निवासी प्रजापत गली नं. 02, सनावद, तह. सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश की निवासी हूँ. मेरा तहसील सनावद के ग्राम रूपखेडा प.ह.नं 41 में सर्वे नंबर 185, 186, 188, 189, 190, 192/2, 201, 202, 203/1, 203/4, 204, 205 कुल रकबा 1.117 हे. की भूमि मेरे एवं अन्य सहखातेदार के नाम से दर्ज है. उक्त कृषि भूमि राजस्व पत्रकों में मेरे बचपन का नाम काजल दर्ज किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे समस्त दस्तावेज अंकसूची, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता परिचय-पत्र व मूलनिवासी प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज पर मेरा नाम नर्मदा प्रजापत पिता मुन्नालाल लिखा है इसलिए उक्त कृषि भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम काजल के स्थान पर नर्मदा प्रजापत पिता मुन्नालाल प्रजापत पढ़ा एवं लिखा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( काजल प्रजापत )

(183-बी.)

नया नाम :

( नर्मदा प्रजापत )

पिता मुन्नालाल प्रजापत,  
निवास पता-प्रजापत गली नं. 02, सनावद,  
तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) 451111.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, अमित कुमार रायकवार (मकान नं. 11 सेंचुरी इनक्लेव, वृन्दावन गार्डन के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल) मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम अमित कुमार रायकवार अंकित है. जिसका मैंने अपनी स्वेच्छा से अपना नाम अमित सिंह सिकरवार कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे समस्त शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों अमित सिंह सिकरवार के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( अमित कुमार रायकवार )

(184-बी.)

नया नाम :

( अमित सिंह सिकरवार )

पिता- स्व. कृष्ण कुमार,  
मकान नं. 11, सेंचुरी इनक्लेव, वृन्दावन  
गार्डन के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल.

**CHANGE OF SURNAME**

All Concerned to please note that my former Name/Surname was Jitendra Chouhan, Resident of LIG 9/6, Vishwakarma Nagar, berasia road, Karond, Bhopal (M.P.). But now assumed Name/Surname is Jitendra Arora. Therefore in future, I Should be known as Jitendra Arora.

Old Name :

(JITENDRA CHOUHAN)

(185-B.)

New Name :

(JITENDRA ARORA)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. याकूब खान तनय अब्दुल वहाब खान उम्र 58 वर्ष, पेशा नौकरी हाल कार्यालय सहायक श्रेणी-3 म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि.रीवा हाल निवासी बिछिया तकिया के पास वार्ड क्रमांक-42, थाना सिटी कोतवाली, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) का हूँ. मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम हिन्दी भाषा में सही-सही लेख है किन्तु अंग्रेजी भाषा में Mohammad Yakub Khan S/o Abdul Vahab Khan लेख हो गया है जो गलत है. अंग्रेजी भाषा में सही नाम Mohammad Yaqoob Khan S/o Abdul Wohab Khan है. मेरे मार्कशीट, आधार कार्ड, पैनकार्ड में सही नाम लेख है जिसके आधार पर मेरा सही नाम अंग्रेजी में मेरी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाय व जाना-पहचाना जाय.

पुराना नाम :

( MOHAMMAD YAKUB KHAN )

S/o Abdul Vahab Khan.

(186-बी.)

नया नाम :

( MOHAMMAD YAQOOB KHAN )

S/o Abdul Wohab Khan.

पेशा नौकरी हाल निवासी-बिछिया तकिया के पास, वार्ड क्रमांक 42,  
थाना सिटी कोतवाली, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

पिन नं. 486001.

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स साईं रियल्टी, लक्ष्मी वॉच कम्पनी के सामने, टोपी बाजार, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) भागीदारी फर्म के भागीदार श्री नरेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल का निधन दिनांक 17-07-2019 को हो गया है. अतः उक्त फर्म में मैसर्स साईं रियल्टी, लक्ष्मी वॉच कम्पनी के सामने, टोपी बाजार, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्व. श्री नरेश अग्रवाल के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावना अग्रवाल दिनांक 17-07-2019 से फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित कर ली गई हैं तदनुसार सूचित हों.

मैसर्स साईं रियल्टी,

इंद्रादेवी जैन,

(द्वारा-भागीदार).

लक्ष्मी वॉच कम्पनी के सामने,

टोपी बाजार, लशकर, ग्वालियर.

(192-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स एस.आर. कम्पनी, एम-5, सिटी सेंटर साइट नं. 1, ग्वालियर मध्यप्रदेश जोकि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी ग्वालियर संभाग, ग्वालियर में पंजीयत है जिसका पंजीयन नं. 02/42/01/00101/06, दिनांक 13-11-2006 है. उक्त फर्म में साझेदार क्रमांक 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा, 2. श्री सतीश कुमार शर्मा, आदि साझेदार थे चूंकि अब इस साझेदारी फर्म को दिनांक 18-12-2019 से भंग किया जा रहा है. अब किसी भी पार्टनर का इस फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. किसी को कोई आपत्ति हो, तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस में सूचित करें.

मैसर्स एस. आर. कम्पनी,

सतीश कुमार शर्मा,

(भागीदार).

(176-बी.)

### जाहिर सूचना

आज दिनांक 15-07-2020 को रु. 5000(ई-स्टाम्प क्रमांक-01012515072020001252) के स्टाम्प पर यह साझेदारी पत्रक निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया जा रहा है.

जोकि मै. रामनरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी मुरैना (म.प्र.) के नाम से भागीदारी में ठेकेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं. चूंकि यह व्यवसाय पूर्व से ही भागीदारी फर्म की हैसियत से चल रहा था. इस वाबत दिनांक 05-10-2016 को साझेदारी पत्रक लिपिबद्ध किया गया था, इस साझेदारी व्यवसाय से दिनांक 15-07-2020 को साझेदार श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, निवासी गायत्री कॉलोनी, मुरैना एवं साझेदार श्री दीपचन्द्र शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा, निवासी गोपालपुरा मुरैना एवं साझेदार श्री अवनीश शर्मा पुत्र श्री भोगीराम शर्मा, निवासी ग्राम कुम्हेरी, तहसील जौरा स्वेच्छा पूर्वक पृथक् हो गये है. इस कारण यह साझेदारी पत्रक निष्पादित किया जा रहा है. जिसके संबंध में यह आवश्यक जानकार कि साझेदारी को शासकीय व अर्द्धशासकीय एवं अन्य विभागों में प्रमाणित किया जा सके. यह साझेदारी पत्रक भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत समस्त पक्षकारों द्वारा बिना किसी धौंस दबाव के स्थित बुद्धि व स्वस्थ चित्त होकर निम्नलिखित शरायतों पर लिपिबद्ध किया जा रहा है.

कृपया सूचित हो.

द्वारा-मैसर्स रामनरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

देवेन्द्र शर्मा,

(पार्टनर)

मुरैना.

(177-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रीराम शर्मा स्टोन केशर, ए-1, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 01-08-2020 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्री जयदेव शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, बलबन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर एवं "मैसर्स नेत्रान्श मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड" (डायरेक्टर) मनीष पाराशर पुत्र श्री ओमप्रकाश पाराशर, ए.बी.रोड, सुभाष कॉलोनी, गुना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं भविष्य में इन्हें फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. साथ ही फर्म में

नवीन साझेदार के रूप में श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पति श्री जयदेव शर्मा, ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, बलबन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है।

मैसर्स श्रीराम शर्मा स्टोन क्रेशर,

**रामनिवास शर्मा,**

(पार्टनर).

(178-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स तिरूमाला बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स जो 61-बी., कस्तूरबा नगर, भोपाल में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0119/20 है जो दिनांक 21-08-2020 को पंजीकृत की गई है जिसमें दिनांक 22-08-2020 को भागीदार (1) श्री मनोज बूलचंदानी पुत्र स्वर्गीय श्री बलराम बूलचंदानी, निवासी- ई-116, सेक्टर ए, शाहपुरा भोपाल, (2) श्री जयंत भण्डारी पुत्र स्वर्गीय श्री एस.एल. भण्डारी, निवासी- ई-1/147, अरेरा कालोनी, भोपाल, (3) श्री विजय हरिरामानी पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामदास हरिरामानी, निवासी-ई-1/196, अरेरा कालोनी, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 22-08-2020 को श्री रोहन गोयल पुत्र श्री सुनील गोयल, निवासी- कुरावर राजगढ़ (म.प्र.) एवं श्री कृष्ण कुमार ओझा पुत्र श्री ओम प्रकाश ओझा, निवासी- पी-33, प्रियदर्शनी पैरामउन्ट होशंगाबाद रोड, भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। फर्म के व्यवसाय का नवीन पता यूनिट 3, भूतल बी-34, गौतम नगर, भोपाल हो गया है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

मैसर्स तिरूमाला बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,

**नवीन अग्रवाल,**

(भागीदार).

(173-बी.)

यूनिट-3 भूतल बी-34, गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.).

### आम सूचना

मैसर्स रोशन रेफ्रिजरेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स (हेड आफिस 77, गाजी मैदान नई बस्ती गोहलपुर जबलपुर मध्यप्रदेश 482002) जिसमें भागीदार क्र. (1) श्री फिरोज अहमद S/o स्व. तफज्जुल हुसैन क्र. (2) श्रीमती सुल्ताना बेगम W/o श्री फिरोज अहमद (3) श्री खुर्शीद अहमद S/o स्व. तफज्जुल हुसैन 01-04-2007 से भागीदार रहे हैं, अब 01-04-2020 से भागीदार क्र. (3) खुर्शीद अहमद उक्त रजिस्टर्ड फर्म से निकल गए हैं एवं श्री मोहतशिम अहद अंसारी (Mohtashim Ahad Ansari) S/o श्री फिरोज अहमद उक्त फर्म में शामिल हो गए हैं।

मैसर्स रोशन रेफ्रिजरेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स,

**सुल्ताना,**

(पार्टनर).

77, गाजी मैदान नई बस्ती गोहलपुर-जबलपुर (म.प्र.).

(174-बी.)

### आम सूचना

मैसर्स बाँबी शूज-दुकान नं. 38,39 नया बाजार सतना बिल्डिंग रोड मालवीय चौक जबलपुर ब्रांच ऑफिस समदड़िया मॉल मढाताल जबलपुर मध्यप्रदेश जिसमें भागीदार (1) मो. फिरोज S/o श्री मरहुम नूर मोहम्मद. (2) मो. जाहिद कुरैशी S/o मो. फिरोज कुरैशी (3) मो. राशिद कुरैशी S/o मो. फिरोज कुरैशी (4) मो. फुरकान S/o मो. फिरोज कुरैशी, 12-04-2016 से भागीदार रहे हैं. अब 18-10-2019 से भागीदार क्र. (1) मो. फिरोज उक्त रजिस्टर्ड फर्म से निकल गए हैं एवं श्री मो. अफजल S/o मो. शाहिद उक्त फर्म में शामिल हो गए हैं।

मैसर्स बाँबी शूज,

**राशिद,**

(पार्टनर).

38, 38 मालवीय चौक, नया बाजार जबलपुर (म.प्र.).

(175-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म BUILDANGEL, H-3 GANDHI NAGAR, PADAV GWALIOR (M.P.) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0204/19 पंजीयन दिनांक 18-10-2019 का पहले पता H-3, GANDHI NAGAR, PADAV GWALIOR (M.P.) 474002 था, दिनांक 06-08-2020 से फर्म का पता B-9, GANDHI NAGAR, PADAV GWALIOR (M.P.) 474002 हो गया है. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

(187-बी.)

For- Buildangel,  
हरीकिशन थगले,  
(पार्टनर).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/S BIG BOYZ MOTORCYCLES, 47, Gyan Ganga Building, Jayendraganj Chauraha, Lashkar, Gwalior (M.P.) 474001 पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0101/18 में साझेदार 1. श्री रवि प्रकाश कुशवाह पुत्र श्री राम सिंह कुशवाह, उम्र 60 वर्ष, निवासी-43, रंग्याना मोहल्ला, गौसपुरा नं. 1, ग्वालियर (म.प्र.) एवं 2. श्री सूर्य प्रकाश कुशवाह पुत्र श्री रवि प्रकाश कुशवाह उम्र 32 वर्ष निवासी- 43, रंग्याना मोहल्ला, गौसपुरा नं. 1, ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 14-07-2020 से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

(188-बी.)

For- Big Boyz Motorcycles,  
चंद्र प्रकाश कुशवाह,  
(पार्टनर).

### आम सूचना

( भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स पटेल फुड, भोपाल मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0299/18, सन् 2018-19 दिनांक 17-12-2018, को किया गया था, जिसमें चार भागीदार थे. भागीदार फर्म मेसर्स पटेल फुड, भोपाल से श्री रजनीकांत अम्बालाल पटेल पुत्र अम्बालाल बेचारदास पटेल एवं श्री जरेनिया हरीश राजेन्द्रभाई पुत्र राजेन्द्रभाई इंदरलाल जरेनिया और पटेल निलेश कुमार पुत्र अमृतभाई, दिनांक 20-09-2019 से पृथक् हो रहे हैं, और अब फर्म में दो नये साझेदार भारती शाक्या पत्नी राकेश कुमार एवं शुभम शाक्या पुत्र राकेश कुमार दिनांक 20-09-2019 भागीदारी फर्म मेसर्स पटेल फुड शामिल हो रहे हैं, अब कुल मिलाकर फर्म में तीन साझेदार राकेश कुमार, भारती शाक्या और शुभम शाक्या बने रहेंगे. चालू रहेंगे.

(189-बी.)

वास्ते- दीपक नायक,  
(अधिवक्ता).  
Enrolment No- MP/25/2016,  
Add- Uttam Chand Israni (B.D.A. Bhawan),  
Layers Chamber No. 316,  
Third Floor, Behind Distt. Court, Arera Hills, Bhopal-462011(M.P.)

### आम सूचना

( भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रशांत अग्रवाल, लक्कड़गंज इटारसी मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्र. 01/07/03/00088/07, सन् 07-08 दिनांक 18-07-2007, को किया गया था,

अंतिम बार दिनांक 01-04-2011 को रजिस्ट्रार फर्म एंड संस्थाएं विभाग भोपाल में आवेदन देकर सभी संशोधन को लेखबध्य करवा लिया गया था.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 07-06-2020 को फर्म के एक भागीदार श्री बजरंग लाल अग्रवाल आत्मज स्व. श्री कुंदन लाल अग्रवाल, की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् किया गया है. जो कि फर्म में 01-04-2006 में शामिल किये गये थे.

साथ में दो अन्य भागीदार, भागीदारी फर्म मेसर्स प्रशांत अग्रवाल, लक्कड़गंज इटारसी से श्री निशांत अग्रवाल आत्मज स्व. श्री बजरंग लाल अग्रवाल एवं श्रीमती शकुंतला अग्रवाल पत्नी स्व. श्री बजरंग लाल अग्रवाल, दिनांक 07-06-2020 से पृथक् हो रहे हैं.

और अब फर्म में तीन भागीदार श्री प्रशांत अग्रवाल आत्मज स्व. श्री बजरंग लाल अग्रवाल, श्रीमती प्रीति अग्रवाल पत्नी श्री प्रशांत अग्रवाल और श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पत्नी श्री निशांत अग्रवाल भागीदारी फर्म मेसर्स प्रशांत अग्रवाल, लक्कड़गंज इटारसी में बने रहेंगे, चालू रहेंगे.

**वास्ते- दीपक नायक,**

(अधिवक्ता).

Enrolment No- MP/25/2016,

Add- Uttam Chand Israni (B.D.A. Bhawan),

Layers Chamber No. 316,

(190-बी.)

Third Floor, Behind Distt. Court, Arera Hills, Bhopal-462011(M.P.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म श्री माँ कैला देवी इन्टरप्राइजेज पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00324/12, दिनांक 30-03-2012 कार्यालय हाउस नं. 38, शांति प्रकाशन सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर के भागीदार श्री गौतम राय रैली, आयु 43 वर्ष पत्नी श्री गुलशन राय रैली निवासी- 38, शान्ती प्रकाशन सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्रीमती प्रिया रैली, आयु 40 वर्ष पुत्र श्री गौतम राय रैली, निवासी- 38, शान्ती प्रकाशन सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 08-06-2020से आपसी सहमति से फर्म से पृथक् हो गये हैं अर्थात् उक्त दोनों की भागीदारी समाप्त हो चुकी है तथा श्री महेन्द्र पाल सिंह गुर्जर, आयु 32 वर्ष पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह गुर्जर, निवासी- सदूपुरा, जालौन, अटार कलां (उ.प्र.) एवं श्री मनोज कुमार चौहान, आयु 44 वर्ष पुत्र श्री रामवरन सिंह चौहान, निवासी- 71, न्यू राम विहार कॉलोनी, पिन्टू पार्क, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री ब्रह्मानंद गुप्ता, आयु 41 वर्ष पुत्र श्री बाकलाल गुप्ता, निवासी- कोल साहब का बाड़ा, हरिनिर्मल टॉकीज, नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में दिनांक 08-06-2020 से बतौर भागीदार सम्मिलित हो गये हैं, संशोधित भागीदारी विलेख के अनुसार तीनों भागीदार फर्म में साझेदार रहेंगे. अतः सर्व-साधारण को सूचित हों.

श्री माँ कैला देवी इन्टरप्राइजेज,

गौतम राय रैली, प्रिया रैली, महेन्द्रपाल सिंह गुर्जर,

मनोज कुमार, एवं ब्रह्मानंद गुप्ता,

(191-बी.)

(भागीदार).

### विविध

## आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

**कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 17 जुलाई, 2020

### **संशोधित आदेश**

क्र./523/व.लि./2020.—इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 1506-1507/व.लि./2019, दिनांक 09-12-2019 के अनुसार इन्दौर जिले हेतु तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये गये थे. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक 255/व.लि./2020 इंदौर दिनांक 07-03-2020 के द्वारा दिनांक 14-03-2020 शनिवार (रंगपंचमी) का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था.

तदनुसार पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 1506-1507/व.लि./2019 दिनांक 09-12-2019 के अनुसार इन्दौर जिले हेतु घोषित किये गये स्थानीय अवकाशों में से दिनांक 02-09-2020 अनन्त चतुर्दशी का दूसरा दिन (बुधवार) का अवकाश निरस्त किया जाता है.

यह आदेश कोषालय, उपकोषालय एवं बैंक पर लागू नहीं होगा.

(903)

**मनीष सिंह,**

कलेक्टर.

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

सक्षम रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र. 1648/अ.वि.अ./वृत्तगो./120.--जैसा कि आवेदक संस्था "भक्ति ग्राम" कार्यालय-डी-20, भक्ति भवन, वर्धमान सिटी, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 14-09-2020 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम व पता   | : | "भक्ति ग्राम" कार्यालय-डी-20, भक्ति भवन, वर्धमान सिटी, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश. |
| 2. न्यास कार्यालय का पता | : | डी-20, भक्ति भवन, वर्धमान सिटी, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.                        |
| 3. अचल सम्पत्ति          | : | निरंक.  |
| 5. चल सम्पत्ति           | : | निरंक.  |

मनोज वर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी.

(901)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

### प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री मोतीलाल पिता कालुराम प्रजापति, निवासी- राजीवनगर, नीमच द्वारा "जयपुरिया मारवाड़ा प्रजापति श्री मुरलीमनोहर मंदिर ट्रस्ट" मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, एस. एल. शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| लोक न्यास का नाम व पता         | : | "जयपुरिया मारवाड़ा प्रजापति श्री मुरलीमनोहर मंदिर ट्रस्ट"<br>कुम्हारगली, नीमच, जिला नीमच. |
| लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण | : | मकान नंबर 710, पक्का मकान, मकान नंबर 728, कच्चा मकान कुम्हारगली,<br>नीमच.                 |
| चल सम्पत्ति                    | : | रु. 500/- (अक्षरी रुपये पांच सौ मात्र)  |

दिनांक 6 अगस्त, 2020.

एस. एल. शाक्य,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(902)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, ( सा. ) वनमण्डल, सेंधवा

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि सेंधवा वनमण्डल में निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 01 जुलाई, 2020 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे. जो चरवाहे अथवा पशु स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

#### मध्यप्रदेश चराई नियम-1986 के उपनियम-3(1) के अंतर्गत प्रपत्र वनमंडल सेंधवा, ( सामान्य )

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	समिति का नाम	आवृत्त कक्ष				बंद क्षेत्र		
				आर.एफ.	रकबा	पी.एफ.	रकबा	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
1.	सेंधवा	धनोरा	खुरमाबाद	636	237.56	0	0	636	226.04	11.52
2.	सेंधवा	धनोरा	खुरमाबाद	637	256.68	0	0	637	157.16	99.52
3.	सेंधवा	धनोरा	किरचाली	706	374.23	0	0	706	20.00	354.23
4.	सेंधवा	धनोरा	कढाईपानी	614	201.47	0	0	614	201.47	0.00
5.	सेंधवा	धनोरा	कढाईपानी	620	208.70	0	0	620	208.70	0.00
6.	सेंधवा	धनोरा	केलपानी	680	194.35	0	0	680	10.00	184.35
7.	सेंधवा	धनोरा	केलपानी	682	302.10	0	0	682	25.00	277.10
8.	सेंधवा	धनोरा	केलपानी	654	252.34	0	0	654	121.00	131.34
9.	सेंधवा	धनोरा	केलपानी	681	246.47	0	0	681	231.04	15.43
10.	सेंधवा	धनोरा	केलपानी	666	290.09	0	0	666	160.72	129.37
11.	सेंधवा	धनोरा	गुडा	615	71.81	0	0	615	71.81	0.00
12.	सेंधवा	धनोरा	गुडा	616	163.95	0	0	616	20.00	143.95
13.	सेंधवा	धनोरा	किरचाली	608	214.30	0	0	608	25.00	189.30
14.	सेंधवा	धनोरा	गुडा	618	228.00	0	0	618	78.00	150.00
15.	सेंधवा	धनोरा	मुवास्य	658	243.48	0	0	658	40.00	203.48
16.	सेंधवा	धनोरा	मुवास्य	660	296.87	0	0	660	30.00	266.87
17.	सेंधवा	धनोरा	राजनगाँव	635	237.91	0	0	635	153.00	84.91
18.	सेंधवा	धनोरा	राजनगाँव	628	217.45	0	0	628	182.94	34.51
19.	सेंधवा	धनोरा	राजनगाँव	632	165.85	0	0	632	19.00	146.85
20.	सेंधवा	धनोरा	राजनगाँव	627	229.81	0	0	627	50.00	179.81
21.	सेंधवा	धनोरा	राजनगाँव	685	133.80	0	0	685	129.00	4.80
22.	सेंधवा	धनोरा	भापपुरा	648	206.23	0	0	648	98.00	108.23
23.	सेंधवा	धनोरा	भापपुरा	651	274.28	0	0	651	100.00	174.28
24.	सेंधवा	धनोरा	भापपुरा	649	18.21	0	0	649	18.21	0.00
25.	सेंधवा	धनोरा	भापपुरा	648	206.23	0	0	648	87.00	119.23
26.	सेंधवा	धनोरा	कामोद	652	267.75	0	0	652	267.75	0.00
27.	सेंधवा	वरला	ढोकल्यापानी	494	235.89	0	0	494	45.00	190.89
28.	सेंधवा	वरला	गुराडपानी	506	386.41	0	0	506	60.86	325.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
29.	सैंधवा	वरला	चिलारिया	515	298.51	0	0	515	70.00	228.51
30.	सैंधवा	वरला	डोगल्यापानी	530	118.91	0	0	530	87.80	31.11
31.	सैंधवा	वरला	मोहनपडावा	540	282.20	0	0	540	97.88	184.32
32.	सैंधवा	वरला	आर्वटित नही	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
33.	सैंधवा	वरला	महानीम	486	242.82	0	0	486	5.05	237.77
34.	सैंधवा	वरला	महेन्द्रयापानी	547	210.08	0	0	547	35.00	175.08
35.	सैंधवा	वरला	महेन्द्रयापानी	546	232.79	0	0	546	50.00	182.79
36.	सैंधवा	वरला	अम्बावतार	495	229.51	0	0	495	50.00	179.51
37.	सैंधवा	वरला	गुराडपानी	505	157.17	0	0	505	60.00	97.17
38.	सैंधवा	वरला	गुराडपानी	520	277.37	0	0	520	60.00	217.37
39.	सैंधवा	वरला	महेन्द्रयापानी	544	167.72	0	0	544	50.00	117.72
40.	सैंधवा	वरला	महानीम	486	242.82	0	0	486	50.00	192.82
41.	सैंधवा	वरला	किरमला	527	212.08	0	0	527	50.00	162.08
42.	सैंधवा	वरला	हिंगवा	405	188.16	0	0	405	50.00	138.16
43.	सैंधवा	वरला	कुडिया	550	201.78	0	0	550	30.00	171.78
44.	सैंधवा	वरला	मोहनपडावा	560	284.41	0	0	560	100.00	184.41
45.	सैंधवा	वरला	मोहनपडावा	535	367.87	0	0	535	1.00	366.87
46.	सैंधवा	वरला	जामठी	497	287.43	0	0	497	25.00	262.43
47.	सैंधवा	वरला	बडियापानी	542	300.52	0	0	542	50.00	250.52
48.	सैंधवा	वरला	भालाबेडी	508	397.60	0	0	508	168.00	229.60
49.	सैंधवा	वरला	जामठी	497	287.43	0	0	497	124.00	163.43
50.	सैंधवा	वरला	हेलगापानी	555	212.40	0	0	555	200.00	12.40
51.	सैंधवा	वरला	गुराडपानी	520	277.37	0	0	520	97.00	180.37
52.	सैंधवा	वरला	कोलकी	558	271.55	0	0	558	120.00	151.55
53.	सैंधवा	वरला	आर्वटित नही	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
54.	सैंधवा	वरला	अम्बावतार	408	111.47	0	0	408	106.00	5.47
55.	सैंधवा	वरला	अम्बावतार	409	88.77	0	0	409	78.00	10.77
56.	सैंधवा	वरला	मालवन	567	25335.00	0	0	567	130.00	25205.00
57.	सैंधवा	वरला	महानीम	488	213.30	0	0	488	212.80	0.50
58.	सैंधवा	वरला	मोहनपडावा	539	226.17	0	0	539	3.50	222.67
59.	सैंधवा	वरला	हिंगवा	538	344.74	0	0	538	2.50	342.24
60.	सैंधवा	वरला	पेदारन्या	403	152.01	0	0	403	50.00	102.01
61.	सैंधवा	वरला	भालाबेडी	509	203.79	0	0	509	96.45	107.34
62.	सैंधवा	वरला	जामठी	498	327.91	0	0	498	139.45	188.46
63.	सैंधवा	वरला	आर्वटित नही	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
64.	सैंधवा	वरला	मोहनपडावा	534	222.02	0	0	534	222.02	0.00
65.	सैंधवा	वरला	मोहनपडावा	540	282.20	0	0	540	154.32	127.88
66.	सैंधवा	वरला	आर्वटित नही	0	0.00	0	0	0	268.51	0.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
67.	संधवा	वरला	हिंगवा	406	68.75	0	0	406	68.75	0.00
68.	संधवा	वरला	जामठी	407	35.95	0	0	407	35.95	0.00
69.	संधवा	वरला	आर्वटित नही	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
70.	संधवा	वरला	खुटवाडी	404	277.12	0	0	404	35.00	242.12
71.	संधवा	वरला	महेन्द्रयापानी	546	487.85	0	0	546	15.00	472.85
72.	संधवा	वरला	छत्रीपडावा	516	214.66	0	0	516	112.18	102.48
73.	संधवा	वरला	कोलकी	558	271.55	0	0	558	140.50	131.05
74.	संधवा	वरला	मालवन	566	186.89	0	0	566	5.00	181.89
75.	संधवा	धवली	धावडा	426	152.90	0	0	426	10.00	142.90
76.	संधवा	धवली	धावडा	441	290.69	0	0	441	76.95	213.74
77.	संधवा	धवली	धावडा	443	151.73	0	0	443	73.37	78.36
78.	संधवा	धवली	धावडा	444	192.95	0	0	444	79.00	113.95
79.	संधवा	धवली	धावडा	445	377.87	0	0	445	196.00	181.87
80.	संधवा	धवली	धावडा	455	196.33	0	0	455	140.00	56.33
81.	संधवा	धवली	अजगरिया	453	202.13	0	0	453	80.23	121.90
82.	संधवा	धवली	अजगरिया	452	233.30	0	0	452	173.43	59.87
83.	संधवा	धवली	अजगरिया	457	266.66	0	0	457	138.29	128.37
84.	संधवा	धवली	अजगरिया	471	230.24	0	0	471	165.00	65.24
85.	संधवा	धवली	अजगरिया	472	53.50	0	0	472	20.00	33.50
86.	संधवा	धवली	अजगरिया	473	223.37	0	0	473	140.00	83.37
87.	संधवा	धवली	अजगरिया	478	269.94	0	0	478	66.00	203.94
88.	संधवा	धवली	अजगरिया	479	318.16	0	0	479	132.00	186.16
89.	संधवा	धवली	अजगरिया	480	176.16	0	0	480	155.34	20.82
90.	संधवा	धवली	खोखरअम्बा	423	179.51	0	0	423	174.00	5.51
91.	संधवा	धवली	जुनापानी	425	280.66	0	0	425	10.00	270.66
92.	संधवा	धवली	जुनापानी	424	152.65	0	0	424	50.00	102.65
93.	संधवा	धवली	जुनापानी	429	186.76	0	0	429	88.60	98.16
94.	संधवा	धवली	जुनापानी	430	223.13	0	0	430	55.10	168.03
95.	संधवा	धवली	जुनापानी	431	261.94	0	0	431	193.00	68.94
96.	संधवा	धवली	जुनापानी	440	192.05	0	0	440	75.00	117.05
97.	संधवा	धवली	खपाड़ा	458	216.07	0	0	458	101.00	115.07
98.	संधवा	धवली	खपाड़ा	459	135.52	0	0	459	63.70	71.82
99.	संधवा	धवली	खपाड़ा	460	233.11	0	0	460	7.00	226.11
100.	संधवा	धवली	खपाड़ा	461	224.96	0	0	461	133.39	91.57
101.	संधवा	धवली	खपाड़ा	435	122.81	0	0	435	99.90	22.91
102.	संधवा	धवली	खपाड़ा	436	180.80	0	0	436	180.80	0.00
103.	संधवा	धवली	खपाड़ा	462	242.65	0	0	462	81.00	161.65
104.	संधवा	धवली	खपाड़ा	464	219.26	0	0	464	192.25	27.01
105.	संधवा	धवली	मोहनपुरा	422	214.01	0	0	422	127.44	86.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
106.	सेंधवा	धवली	चिरमिरिया	419	206.39	0	0	419	100.48	105.91
107.	सेंधवा	धवली	बोडारीमाल	449	224.25	0	0	449	65.00	159.25
108.	सेंधवा	धवली	पन्नाली	413	255.31	0	0	413	17.78	237.53
109.	सेंधवा	धवली	खडीखोदरी	466	209.30	0	0	466	175.00	34.30
110.	सेंधवा	धवली	खडीखोदरी	467	261.33	0	0	467	75.00	186.33
111.	सेंधवा	धवली	खडीखोदरी	468	211.34	0	0	468	55.00	156.34
112.	सेंधवा	धवली	खडीखोदरी	469	166.74	0	0	469	99.00	67.74
113.	सेंधवा	धवली	खडीखोदरी	470	195.23	0	0	470	195.00	0.23
114.	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	432	229.31	0	0	432	80.00	149.31
115.	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	434	275.08	0	0	434	130.28	144.80
116.	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	437	207.82	0	0	437	130.00	77.82
117.	सेंधवा	धवली	डोंगल्यापानी	439	311.28	0	0	439	211.00	100.28
118.	सेंधवा	धवली	टिकाराम फल्या (अजगरिया-2)	451	276.61	0	0	451	169.00	107.61
119.	सेंधवा	पानसेमल	अलखड	793	248.52	0	0	793	0.00	248.52
120.	सेंधवा	पानसेमल	अलखड	814	205.01	0	0	814	0.00	205.01
121.	सेंधवा	पानसेमल	मलगांव	742	484.28	0	0	742	7.50	476.78
122.	सेंधवा	पानसेमल	मलगांव	748	458.15	0	0	748	7.50	450.65
123.	सेंधवा	पानसेमल	करणपुरा	729	379.74	0	0	729	50.00	329.74
124.	सेंधवा	पानसेमल	करणपुरा	730	148.55	0	0	730	35.00	113.55
125.	सेंधवा	पानसेमल	करणपुरा	741	438.71	0	0	741	70.00	368.71
126.	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	784	259.81	0	0	784	0.00	259.81
127.	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	785	390.61	0	0	785	0.00	390.61
128.	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	841	242.09	0	0	841	0.00	242.09
129.	सेंधवा	पानसेमल	शिवनी पडावा	842	24.79	0	0	842	0.00	24.79
130.	सेंधवा	पानसेमल	कालअंबा	826	106.99	0	0	826	0.00	106.99
131.	सेंधवा	पानसेमल	कालअंबा	827	98.84	0	0	827	0.00	98.84
132.	सेंधवा	पानसेमल	मांडवी पडावा	779	318.43	0	0	779	0.00	318.43
133.	सेंधवा	पानसेमल	मांडवी पडावा	780	309.00	0	0	780	154.33	154.67
134.	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	759	313.34	0	0			313.34
135.	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	760	322.87	0	0	760	322.87	0.00
136.	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	761	309.56	0	0	761	172.20	137.36
137.	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	762	592.72	0	0	762	0.00	592.72
138.	सेंधवा	पानसेमल	केवडी देवडी	763	502.63	0	0	763	388.63	114.00
139.	सेंधवा	पानसेमल	चालीपीठा	724	275.01	0	0	724	0.00	275.01
140.	सेंधवा	पानसेमल	चालीपीठा	725	287.04	0	0	725	30.00	257.04
141.	सेंधवा	पानसेमल	चालीपीठा	726	346.72	0	0	726	154.24	192.48
142.	सेंधवा	पानसेमल	चालीपीठा	727	473.01	0	0	727	300.40	172.61
143.	सेंधवा	पानसेमल	साँपखडकी	751	378.81	0	0	751	209.97	168.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
144.	सेंधवा	पानसेमल	सॉपखडकी	753	348.66	0	0	753	189.99	158.67
145.	सेंधवा	पानसेमल	सॉपखडकी	757	349.19	0	0	757	0.00	349.19
146.	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	728	562.05	0	0	728	397.48	164.57
147.	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	731	465.31	0	0	731	0.00	465.31
148.	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	733	302.25	0	0	733	0.00	302.25
149.	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	734	299.23	0	0	734	238.40	60.83
150.	सेंधवा	पानसेमल	बायगौर	735	212.19	0	0	735	159.00	53.19
151.	सेंधवा	पानसेमल	आमझीरी	746	290.83	0	0	746	0.00	290.83
152.	सेंधवा	पानसेमल	आमझीरी	747	437.82	0	0	747	57.50	380.32
153.	सेंधवा	पानसेमल	आमझीरी	749	297.66	0	0	749	245.00	52.66
154.	सेंधवा	पानसेमल	खडीखम	791	332.41	0	0	791	59.00	273.41
155.	सेंधवा	पानसेमल	खडीखम	792	266.87	0	0	792	0.00	266.87
156.	सेंधवा	पानसेमल	खडीखम	794	200.47	0	0	794	148.50	51.97
157.	सेंधवा	पानसेमल	भडभडा	767	562.00	0	0	767	0.00	562.00
158.	सेंधवा	पानसेमल	भडभडा	768	232.90	0	0	768	100.37	132.53
159.	सेंधवा	पानसेमल	भडभडा	835	129.82	0	0	835	0.00	129.82
160.	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	771	185.85	0	0	771	135.00	50.85
161.	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	772	489.29	0	0	772	0.00	489.29
162.	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	774	238.65	0	0	774	217.79	20.86
163.	सेंधवा	पानसेमल	मनकुई	830	268.92	0	0	830	268.92	0.00
164.	सेंधवा	पानसेमल	मोहल्यापानी	773	336.44	0	0	773	186.00	150.44
165.	सेंधवा	पानसेमल	मोहल्यापानी	827	121.90	0	0	827	0.00	121.90
166.	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	786	561.51	0	0	786	340.20	221.31
167.	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	787	128.52	0	0	787	70.00	58.52
168.	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	790	204.43	0	0	790	0.00	204.43
169.	सेंधवा	पानसेमल	मोयदा	802	229.9	0	0	802	125.89	104.01
170.	सेंधवा	पानसेमल	वासन्यापानी	775	539.6	0	0	775	539.60	0.00
171.	सेंधवा	पानसेमल	वासन्यापानी	834	49.15	0	0	834	0.00	49.15
172.	सेंधवा	पानसेमल	वासन्यापानी	845	82.14	0	0	845	0.00	82.14
173.	सेंधवा	पानसेमल	बंधाराखुर्द	776	237.14	0	0	776	237.14	0.00
174.	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	798	160.96	0	0	798	0.00	160.96
175.	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	801	245.6	0	0	801	145.00	100.60
176.	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	803	305.79	0	0	803	165.70	140.09
177.	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	804	296.31	0	0	804	0.00	296.31
178.	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	805	272.78	0	0	805	50.00	222.78
179.	सेंधवा	पानसेमल	तलाव	806	233.1	0	0	806	179.16	53.94
180.	सेंधवा	पानसेमल	जामन्या	807	117.50	0	0	807	0.00	117.50
181.	सेंधवा	पानसेमल	जामन्या	846	54.94	0	0	846	0.00	54.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
182.	संधवा	पानसेमल	जामन्या	882	74.09	0	0	822	0.00	74.09
183.	संधवा	पानसेमल	जामन्या	839	21.79	0	0	839	0.00	21.79
184.	संधवा	पानसेमल	जामन्या	847	143.88	0	0	847	0.00	143.88
185.	संधवा	पानसेमल	घोंडल्यापानी	823	21.35	0	0	823	0.00	21.35
186.	संधवा	पानसेमल	घोंडल्यापानी	824	2.33	0	0	824	0.00	2.33
187.	संधवा	पानसेमल	घोंडल्यापानी	817	409.63	0	0	817	0.00	409.63
188.	संधवा	पानसेमल	घोंडल्यापानी	836	226.56	0	0	836	0.00	226.56
189.	संधवा	पानसेमल	घोंडल्यापानी	816	145.84	0	0	816	25.00	120.84
190.	संधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	795	291.63	0	0	795	238.65	52.98
191.	संधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	796	289.74	0	0	796	289.74	0.00
192.	संधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	797	177.43	0	0	797	50.00	127.43
193.	संधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	799	245.96	0	0	799	119.41	126.55
194.	संधवा	पानसेमल	गोंदीकाचली	800	177.18	0	0	800	118.74	58.44
195.	संधवा	पानसेमल	जामन्यापानी	777	238.81	0	0	777	50.00	188.81
196.	संधवा	पानसेमल	जामन्यापानी	778	214.28	0	0	778	30.00	184.28
197.	संधवा	पानसेमल	ललवान्या	758	262.06	0	0	758	0.00	262.06
198.	संधवा	पानसेमल	ललवान्या	840	97.82	0	0	840	0.00	97.82
199.	संधवा	पानसेमल	कामठीनाला	721	240.46	0	0	721	0.00	240.46
200.	संधवा	पानसेमल	कामठीनाला	722	238.10	0	0	722	0.00	238.10
201.	संधवा	पानसेमल	कामठीनाला	723	346.73	0	0	723	0.00	346.73
202.	संधवा	पानसेमल	चुनाभट्टी	755	416.33	0	0	755	271.10	145.23
203.	संधवा	पानसेमल	चुनाभट्टी	756	268.45	0	0	756	0.00	268.45
204.	संधवा	पानसेमल	एकलअंबा	738	325.89	0	0	738	0.00	325.89
205.	संधवा	पानसेमल	एकलअंबा	739	323.32	0	0	739	0.00	323.32
206.	संधवा	पानसेमल	एकलअंबा	740	388.39	0	0	740	7.50	380.89
207.	संधवा	पानसेमल	भागलअंबा	720	365.93	0	0	720	167.73	198.20
208.	संधवा	पानसेमल	भागलअंबा	732	255.64	0	0	732	0.00	255.64
209.	संधवा	पानसेमल	भागलअंबा	736	220.49	0	0	736	220.49	0.00
210.	संधवा	पानसेमल	भागलअंबा	737	231.84	0	0	737	150.65	81.19
211.	संधवा	पानसेमल	घानापानी	754	249.67	0	0	754	110.00	139.67
212.	संधवा	पानसेमल	निलबावड़ी	743	365.81	0	0	743	314.04	51.77
213.	संधवा	पानसेमल	निलबावड़ी	744	421.78	0	0	744	310.84	110.94
214.	संधवा	पानसेमल	निलबावड़ी	745	295.5	0	0	745	295.50	0.00
215.	संधवा	पानसेमल	कुंजरवाडा	769	340.37	0	0	769	0.00	340.37
216.	संधवा	पानसेमल	कुंजरवाडा	770	391.60	0	0	770	172.89	218.71
217.	संधवा	पानसेमल	गवाली	809	289.48	0	0	809	60.00	229.48
218.	संधवा	पानसेमल	गवाली	821	119.29	0	0	821	0.00	119.29
219.	संधवा	पानसेमल	गवाली	828	180.72	0	0	828	180.72	0.00
220.	संधवा	पानसेमल	झरीमाता	811	282.11	0	0	811	0.00	282.11
221.	संधवा	पानसेमल	झरीमाता	812	99.87	0	0	812	75.00	24.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
222.	संधवा	पानसेमल	झरीमाता	837	31.46	0	0	837	0.00	31.46
223.	संधवा	पानसेमल	झरीमाता	838	158.32	0	0	838	0.00	158.32
224.	संधवा	पानसेमल	मोगरापानी	717	352.78	0	0	717	0.00	352.78
225.	संधवा	पानसेमल	मोगरापानी	718	297.98	0	0	718	161.79	136.19
226.	संधवा	पानसेमल	मोगरापानी	719	240.98	0	0	719	155.60	85.38
227.	संधवा	पानसेमल	खडकीवन	810	117.61	0	0	810	117.61	0.00
228.	संधवा	पानसेमल	खडकीवन	818	262.11	0	0	818	0.00	262.11
229.	संधवा	पानसेमल	उमरबेड़ा	764	316.59	0	0	764	166.30	150.29
230.	संधवा	पानसेमल	उमरबेड़ा	765	315.47	0	0	765	0.00	315.47
231.	संधवा	पानसेमल	उमरबेड़ा	766	312.37	0	0	766	0.00	312.37
232.	संधवा	पानसेमल	झेण्डिया कुंडिया	788	410.40	0	0	788	181.39	229.01
233.	संधवा	पानसेमल	झेण्डिया कुंडिया	789	454.38	0	0	789	0.00	454.38
234.	संधवा	संधवा	लवाणी	715	211.47	0	0	715	97.74	113.73
235.	संधवा	संधवा	उमरियापानी	572	231.49	0	0	572	0.00	231.49
236.	संधवा	संधवा	उमरियापानी	573	247.28	0	0	573	191.00	56.28
237.	संधवा	संधवा	उमरियापानी	574	161.17	0	0	574	0.00	161.17
238.	संधवा	संधवा	उमरियापानी	575	196.11	0	0	575	196.11	0.00
239.	संधवा	संधवा	भवरगढ	569	217.32	0	0	569	70.00	147.32
240.	संधवा	संधवा	भवरगढ	583	56.33	0	0	583	0.00	56.33
241.	संधवा	संधवा	भवरगढ	584	85.68	0	0	584	0.00	85.68
242.	संधवा	संधवा	भवरगढ	585	157.48	0	0	585	30.00	127.48
243.	संधवा	संधवा	मोहरतमाल	570	154.36	0	0	570	0.00	154.36
244.	संधवा	संधवा	मोहरतमाल	571	146.04	0	0	571	146.04	0.00
245.	संधवा	संधवा	खड्क्या	712	186.31	0	0	712	139.90	46.41
246.	संधवा	संधवा	खड्क्या	713	222.17	0	0	713	142.74	79.43
247.	संधवा	संधवा	खड्क्या	714	218.31	0	0	714	0.00	218.31
248.	संधवा	संधवा	गवाड़ी	580	159.68	0	0	580	136.00	23.68
249.	संधवा	संधवा	गवाड़ी	581	514.68	0	0	581	0.00	514.68
250.	संधवा	संधवा	गवाड़ी	582	78.45	0	0	582	0.00	78.45
251.	संधवा	संधवा	भुरापानी	576	125.69	0	0	576	17.60	108.09
252.	संधवा	संधवा	भुरापानी	577	282.83	0	0	577	282.63	0.20
253.	संधवा	संधवा	भुरापानी	578	228.10	0	0	578	0.00	228.10
254.	संधवा	संधवा	भुरापानी	579	161.82	0	0	579	50.00	111.82
255.	संधवा	संधवा	कुसमी	697	206.62	0	0	697	30.00	176.62
256.	संधवा	संधवा	कुसमी	698	329.05	0	0	698	0.00	329.05
257.	संधवा	संधवा	कुसमी	699	191.00	0	0	699	30.00	161.00
258.	संधवा	संधवा	कुसमी	703	374.52	0	0	703	0.00	374.52
259.	संधवा	संधवा	बघाड	701	165.77	0	0	701	69.16	96.61
260.	संधवा	संधवा	बघाड	702	164.97	0	0	702	0.00	164.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
261.	सेंधवा	सेंधवा	बघाड	704	354.65	0	0	704	0.00	354.65
262.	सेंधवा	सेंधवा	बघाड	705	298.72	0	0	705	0.00	298.72
263.	सेंधवा	सेंधवा	सालीकला	716	282.30	0	0	216	125.00	157.30
264.	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	594	227.10	0	0	594	116.46	110.64
265.	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	596	158.08	0	0	596	151.80	6.28
266.	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	597	228.30	0	0	597	228.30	0.00
267.	सेंधवा	सेंधवा	मोहाला	598	2236.93	0	0	598	40.00	2196.93
268.	सेंधवा	सेंधवा	झिरपन	600	277.29	0	0	600	0.00	277.29
269.	सेंधवा	सेंधवा	झिरपन	595	229.03	0	0	595	70.00	159.03
270.	सेंधवा	सेंधवा	गुलरियापानी	601	140.75	0	0	601	0.00	140.75
271.	सेंधवा	सेंधवा	गुलरियापानी	602	166.23	0	0	602	0.00	166.23
272.	सेंधवा	सेंधवा	वाक्या	599	201.37	0	0	599	116.58	84.79
273.	सेंधवा	सेंधवा	वाक्या	604	282.29	0	0	604	0.00	282.29
274.	सेंधवा	सेंधवा	वाक्या	605	221.95	0	0	604	0.00	221.95
275.	सेंधवा	सेंधवा	उमरी	606	194.65	0	0	606	81.60	113.05
276.	सेंधवा	सेंधवा	नादिया	589	5202.19	0	0	589	0.00	5202.19
277.	सेंधवा	सेंधवा	नादिया	590	154.55	0	0	590	0.00	154.55
278.	सेंधवा	सेंधवा	नादिया	591	133.59	0	0	591	0.00	133.59
279.	सेंधवा	सेंधवा	नादिया	592	222.15	0	0	592	25.00	197.15
280.	सेंधवा	सेंधवा	नादिया	593	345.69	0	0	593	0.00	345.69
281.	सेंधवा	सेंधवा	बख्तारिया	586	175.16	0	0	586	20.00	155.16
282.	सेंधवा	सेंधवा	बख्तारिया	587	129.97	0	0	587	0.00	129.97
283.	सेंधवा	सेंधवा	बख्तारिया	588	270.51	0	0	588	0.00	270.51

एस. एस. मेहता,  
वनमंडलाधिकारी.

(904)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 20 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/613.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा प्राथमिक ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., गुलबासपुर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 29 मई, 2003 को अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस.पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री माझी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्द्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(912)

सीधी, दिनांक 20 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/614.--इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा आकांछा महिला सिलाई कढ़ाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुलबासपुर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1072, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस.पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री माझी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(913)

सीधी, दिनांक 20 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/615.--इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1492, दिनांक 01 सितम्बर, 2006 के द्वारा पशु चिकित्सा कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., रामपुरनैकिन, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 473, दिनांक 26 अगस्त, 1987 को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/417, दिनांक 31 मार्च, 2011 के द्वारा श्री एस.पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री माझी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. पाण्डेय,  
उप-रजिस्ट्रार.

(914)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी

सिवनी, दिनांक 18 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियों 1960 की धारा-18 (अ) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2020/1099.--यह कि इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./430, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 अंतर्गत श्री एस.डी. तंतुवाय पद उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एस.डी. तंतुवाय द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2020 को संस्था वैनगंगा महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयक क्रमांक 757, दिनांक 20 मई, 1998 के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी की परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, रविशंकर गौर, उप-पंजीयक, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एस.डी. तंतुवाय को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

(915)

सिवनी, दिनांक 18 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियों 1960 की धारा-18 (अ) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि./2020/1100.--यह कि इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./430, दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 अंतर्गत श्री एस.डी. तंतुवाय पद उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एस.डी. तंतुवाय द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2020 को संस्था पर्यावरण श्रम ठेका एवं सुरक्षा कामगार सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयक क्रमांक 788, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी की परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, रविशंकर गौर, उप-पंजीयक, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एस.डी. तंतुवाय को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी।

रविशंकर गौर,  
उप-पंजीयक.

(916)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1233.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2952, दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 के द्वारा श्री मां रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुनवानी, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2045 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मां रेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुनवानी, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2045 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(917)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1234.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./4169, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मां बगलामुखी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालाडूमर, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2191 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान



परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां बगलामुखी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालाडूमर, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2191 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(918)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1235.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/4181, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 के द्वारा किसान सेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डीहा सूखा, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2109 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान सेवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डीहा सूखा, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2109 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(919)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1236.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2951, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 के द्वारा कबीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिया पठरा, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2055 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कबीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिया पठरा, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2055 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(920)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1237.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/4180, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 के द्वारा कृषक कल्याण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2105 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान

परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक कल्याण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2105 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(921)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1238.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2954, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 के द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गनियारी खुर्द, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2060 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गनियारी खुर्द, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2060 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(922)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1239.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/4168, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 के द्वारा जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2062 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2062 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(923)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1240.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2956, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 के द्वारा सत्य साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झुरझुर, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2052 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,

1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्य साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झुरझुर, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2052 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(924)

जबलपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/1241.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2950, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 के द्वारा लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निभौरा, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2090 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निभौरा, वि.ख. पनागर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 2090 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 02 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम् मिश्रा,  
उप-पंजीयक.

(925)

### कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 16 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1539.—रघुवंश साख सहकारी समिति मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1740, दिनांक 07 अक्टूबर, 1995 है को कार्यालय के आदेश क्रमांक/2571, दिनांक 31 मई, 2012 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री विवेक व्यास, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/4320, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा श्री विवेक व्यास, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों से कार्यालय को प्राप्त आवेदन-पत्र के संदर्भ में कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2019/4305, इन्दौर दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 से परिसमापक को संस्था पुर्नजीवित करने के संबंध में प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया. परिसमापक श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को प्रतिवेदन-पत्र के तारतम्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 20 जनवरी, 2020 को प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में वर्णित किया गया कि संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 29 दिसम्बर, 2019 में संस्था के उपस्थित हुए समस्त सदस्यों द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु सहमति व्यक्त की गई. परिसमापक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था को पुर्नजीवित किया जाना प्रतिवेदित किया गया कि सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है. उपरोक्त के प्रकाश में यह समाधान हो गया है कि संस्था को पुर्नजीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा विज्ञप्ति शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के अंतर्गत रघुवंश साख सहकारी समिति मर्या., इन्दौर को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था कार्य संचालन के लिए कमेटी के स्थान पर श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला इन्दौर को प्रशासक नियुक्त करता हूँ. प्रशासक को निर्देशित किया जाता है कि 03 माह की समयावधि में संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न करावें.

यह आदेश आज दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. गजभिये,  
उप-आयुक्त.

(926)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 22 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/865.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घेगांव, तहसील खरगौन व जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक/1629, दिनांक 01 मार्च, 2012 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि/1188, दिनांक 17 जुलाई, 2019 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बाबुलाल सोलंकी, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2020 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी 02 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69(4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घेगांव, तहसील खरगौन व जिला खरगौन का पंजीयन क्रमांक निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है--

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत् प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने श्री बाबुलाल सोलंकी, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निर्मांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी :—

1. श्रीमती सेवन्ती बाई एकनाथ पाटीदार	अध्यक्ष
2. श्रीमती भगवतबाई गोकुल यादव	उपाध्यक्ष
3. श्री प्रदीप तुलसीराम पाटीदार	संचालक
4. श्री रमेश काशीराम पाटीदार	संचालक
5. श्री जगदीश एकनाथ पाटीदार	संचालक
6. श्री श्यामलाल शिवराम पाटीदार	संचालक
7. श्री घनश्याम छोटेलाल पाटीदार	संचालक
8. श्री दिनेश घन्नालाल पाटीदार	संचालक
9. श्री श्याम एकनाथ पाटीदार	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(927)

खरगौन, दिनांक 22 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/867.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

#### प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	व्यापारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन.	कसरावद	13/13-11-2002	777/03-07-2015	श्री के. के. वास्कले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
2.	बालाजी प्राथ. सहकारी भण्डार मर्यादित, मण्डलेश्वर.	महेश्वर	1676/05-12-2012	1073/27-08-2016	श्री के. के. वास्कले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(928)

खरगौन, दिनांक 22 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/868.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

#### प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दया साख सहकारी भण्डार मर्यादित, कांकरियांव	कसरावद	234/15-11-2002	1257/25-07-2019	श्री हुकुम यादव, उप-अंकेक्षक.
2.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणगांव	कसरावद	1659/11-07-2012	1185/17-07-2019	श्री हुकुम यादव, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(929)

खरगौन, दिनांक 22 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/869.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

#### प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	देवा माँ अन्नपूर्णा साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन.	कसरावद	1884/10-03-2014	1247/25-07-2019	श्री एस.आर. सोलंकी, व.स. निरीक्षक.
2.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कतरगांव, तहसील महेश्वर.	कसरावद	1366/16-02-2004	659/12-06-2020	श्री राजेन्द्र कुमार रोमड़े, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(930)

खरगौन, दिनांक 22 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/870.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

#### प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	माँ नर्मदा क्रय-विक्रय एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, सनावद, तहसील सनावद.	सनावद	1534/21-09-2007	1069/27-08-2016	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.
2.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामनपुरी, तहसील बड़वाह.	बड़वाह	1950/14-03-2014	1221/19-07-2019	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(931)

खरगौन, दिनांक 22 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/873.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञापित क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निर्माकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

### प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	साईनाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खारियामाल, तहसील झिरन्या.	झिरन्या	1557/07-11-2008	1065/27-08-2016	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(932)

मुकेश जैन,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1023.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, पिपल्यामोलु, जिसका पंजीयन क्रमांक 2245, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(933)

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1024.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2825, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, रठडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2245, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एन. मेहता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,  
उप-पंजीयक.

(934)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा, दिनांक 18 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./उपाछि/परि./2020/1725.—कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, छिंदवाड़ा के ऑडिट कक्ष/निर्वाचन कक्ष से प्राप्त पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2020 के द्वारा निर्मांकित सहकारी समितियों (जिन्हें आगे संस्था कहा गया है) के संबंध में अवगत कराया गया है कि निम्न संस्थाओं के अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत संस्था की अंकेक्षण टीप अनुसार निम्न संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख दर्शित अवधि से अकार्यशील संस्थाओं का अंकेक्षण एवं निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	कारोबार की स्थिति
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., पेटदेवरी	1034/29-09-2014	अकार्यशील
2.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., बिनेकी	730/26-05-2010	अकार्यशील
3.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., तेलीवट	1070/18-01-2016	अकार्यशील
4.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., नवलपुर	1052/06-06-2015	अकार्यशील
5.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., पेंडोनी	1031/29-09-2014	अकार्यशील
6.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., कुण्डा	1142/29-06-2018	अकार्यशील
7.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., खजरी	775/01-03-2012	अकार्यशील
8.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., मडई	433/22-03-1994	अकार्यशील
9.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., बिसखान	773/01-03-2012	अकार्यशील
10.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., टेमनीकला	1046/20-10-2014	अकार्यशील
11.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., गाजनडोह	376/06-12-1977	अकार्यशील
12.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., खमरा	774/01-03-2012	अकार्यशील
13.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., ढाकरावाड़ी	1074/18-01-2016	अकार्यशील
14.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., मरकावाड़ा	724/01-03-2012	अकार्यशील
15.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., आमामोह	1039/18-01-2016	अकार्यशील
16.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., चरईकला	772/01-03-2012	अकार्यशील
17.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., बिलहेरा	290/24-05-1991	अकार्यशील
18.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., अनघोड़ी	1037/29-09-2014	अकार्यशील
19.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., शक्करझिरी	1103/12-10-2017	अकार्यशील
20.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., तिगांव	1045/20-10-2014	अकार्यशील
21.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., लास	311/25-09-1991	अकार्यशील



1	2	3	4
22.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., कपरवाड़ी	1054/06-06-2015	अकार्यशील
23.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., सिमरियाकला	1075/18-01-2016	अकार्यशील
24.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., थांवरिखुर्द	1038/22-11-2011	अकार्यशील
25.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., लिंगपानी	288/24-05-1991	अकार्यशील
26.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., खेड़ीकला	814/10-01-2014	अकार्यशील
27.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., जम्होरीपंडा	1196/20-09-2018	अकार्यशील
28.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., धमनिया	1049/23-04-2015	अकार्यशील
29.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., लिंगा	786/16-03-2012	अकार्यशील
30.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., चुरका	1026/29-03-2014	अकार्यशील
31.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., झामटा	546/26-03-1996	अकार्यशील
32.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., लछुआ	777/16-03-2012	अकार्यशील
33.	दुग्ध उत्पा. सह.समि. मर्या., कोठिया	577/17-06-1998	अकार्यशील
34.	मत्स्योद्योग सह.समि. मर्या., बंधानमाल	802/25-05-2012	अकार्यशील
35.	दीनदयाल मत्स्य.सह.समि. मर्या., सागर बिछुआ	1143/06-07-2018	अकार्यशील
36.	नकलपरसादी मत्स्य. सह. समि. मर्या., सिंगोड़ी	686/24-03-2007	अकार्यशील
37.	जय शारदा बुन. सह. समि. मर्या., सौंसर	69/16-08-1984	अकार्यशील
38.	विनोद बुन. सह. समि. मर्या., सौंसर	72/12-03-1984	अकार्यशील
39.	साईनाथ बुन. सह. समि. मर्या., सौंसर	71/12-03-1984	अकार्यशील
40.	संगम बुन. सह. समि. मर्या., सौंसर	397/17-01-1981	अकार्यशील
41.	बजरंग बुन.सह.समि. मर्या., सौंसर	215/21-05-1965	अकार्यशील
42.	सदगुरू बुन.सह.समि. मर्या., सौंसर	86/01-01-1984	अकार्यशील
43.	पंकज बुन.सह.समि. मर्या., सौंसर	391/17-01-1981	अकार्यशील
44.	आदर्श प्राथ.उप.भंडार मर्या., बुधवारी, छिंदवाड़ा	264/28-02-1991	अकार्यशील
45.	ओम महिला प्राथ.उप.भंडार मर्या., पातालेश्वर, वार्ड छिंदवाड़ा	584/30-07-1998	अकार्यशील
46.	संगम प्राथमरी स्टोर प्रा.उप.भंडार, छिंदवाड़ा	1060/26-06-2015	अकार्यशील
47.	आदर्श बीज सह.समि.मर्या., परासिया	831/10-01-2014	अकार्यशील
48.	जय अम्बे बीज उत्पा. सह. समि. मर्या., नौलाझिर	857/10-01-2014	अकार्यशील
49.	आदिवासी फल-फूल साग-सब्जी उत्पा. सह. समि. बिछुआ	600/30-11-1999	अकार्यशील
50.	अनुसूचित जाति, जनजाति, गृह निर्माण मर्या., खजरी	51/30-03-1983	अकार्यशील
51.	जगदम्बा ताम्रकार उ. सह. समि. मर्या., छिंदवाड़ा	41/30-01-1989	अकार्यशील
52.	दीनदयाल अन्त्योदय महिला बहु.स.समि.मर्या., छिंदीपातालकोट.	1111/31-03-2018	अकार्यशील
53.	ट्रक आनर्स एवं ऑपरेटर प्रा.यातायात सह. समि. मर्या., छिंदवाड़ा	1076/01-02-2016	अकार्यशील
54.	दुग्ध उत्पा. सह. समि. मर्या., रिछेड़ा	1199/24-09-2020	निर्वाचन न कराये जाने कारण

1	2	3	4
55.	दुग्ध उत्पा. सह. समि. मर्या., चिखलार	1073/18-01-2016	निर्वाचन न कराये जाने कारण
56.	तहसील मत्स्यो. सह. समि. मर्या., छिंदवाड़ा	71/10-03-1961	निर्वाचन न कराये जाने कारण
57.	शमा बुन. सह. समि. मर्या., लोधीखेड़ा	85/08-02-1962	निर्वाचन न कराये जाने कारण
58.	वरदान सब्जी व अनाज बीज उत्पा.सह. समि.मर्या., चंदनगांव.	1064/20-11-2015	निर्वाचन न कराये जाने कारण
59.	उन्नत जैविक खाद एवं खाद उत्पा.तथा क्रय-विक्रय एवं कुटीर उद्योग सह. समि. मर्या., खामी.	1086/30-07-2016	निर्वाचन न कराये जाने कारण
60.	अपनी बाड़ी कुक्कुट पालन एवं जैविक खाद उत्पा.प्राथ.साख सह. समि. मर्या., चंदनगांव.	1065/20-12-2016	निर्वाचन न कराये जाने कारण
61.	धनलक्ष्मी प्राथ.साख सह. समि. मर्या., छिंदवाड़ा	838/10-01-2014	निर्वाचन न कराये जाने कारण

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-आयुक्त, सहकारिता, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्थायें विगत वर्षों से अकार्यशील हैं, अतः क्यों न संस्थाओं को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्थाएँ इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन चाहती हैं, तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्थाओं ने निर्धारित समयवधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(935)

जी. एस. डेहरिया,  
उप-आयुक्त, सहकारिता.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2020-भाद्र 20, शके 1942

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकी सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 12 अगस्त 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम मेघाच्छादित रहा. राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.

4. धान रोपाईं पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में रोपाईं चालू है.

5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.

7. अन्य असामयक घटना से क्षति :- कोई क्षति नहीं.

8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.













1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
18.	अनूपपुर :		.. पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	धान	मक्का	सोयाबीन	अधिक	2%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जैतहरी	133.8 ..	बोनी चालू	..	..	..	तुअर	उड़द	मूंगफली	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		अनूपपुर	96.6 ..	रोपाई चालू	..	..	..	ज्वार	..	..	सामान्य	..	सुधरी हुई	..	..	..	..	..	..
		कोतमा	138.7 ..	..	..	..	..	तिल	..	..	कम	..	समान	..	..	..	..	..	..
		पुष्पराजगढ़	299.9 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19.	उमरिया :		.. पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बांधवगढ़	104.0 ..	रोपाई चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		पाली	79.2 ..	बोनी चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		चंदिया	.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		नौरोजाबाद	.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		मानपुर	69 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20.	सीधी :		.. पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	धान	..	..	समान	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	81.2 ..	..	..	..	..	तुअर	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		सिंहावल	65.0 ..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		मझौली	83.0 ..	..	..	..	..	मक्का	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		कुसमी	47.6 ..	..	..	..	..	तिल	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		चुरहट	31.0 ..	..	..	..	..	उड़द	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
		बहरी	75.0 ..	..	..	..	..	मूंग	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		रामपुरनैकिन	44.0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21.	सिंगरौली:		.. पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	मक्का	..	..	समान	..	सुधरी हुई	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		चितरंगी	132.0 ..	बोनी चालू	..	..	..	तुअर	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		देवसर	19.5 ..	रोपाई चालू	..	..	..	उड़द	ज्वार	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सरई	82.6 ..	..	..	..	..	धान	..	..	कम	25%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		माडा	115.2 ..	..	..	..	..	अन्य	..	..	कम	10%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
		सिंगरौली	.. ..	..	..	..	..	तिल	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..







1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
33.	खरगौन :	.. पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	ज्वार	कपास	तुअर	कम	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वाह	45.0	..	बोनी चालू	..	..	मक्का	सोयाबीन	मूँगफली	अधिक	..	..	..	..	..	..	..	..
	महेश्वर	75.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सेगांव	33.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खरगौन	56.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	गोगावां	42.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कसरावद	58.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	भगवानपुरा	30.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	भीकनगांव	37.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सनावद	38.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	झिरन्या	16.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
34.	बड़वानी :	.. कम	..	..	..	..	मक्का	गन्ना	..	सामान्य	..	..	..	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वानी	45.1	..	..	..	..	ज्वार	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	ठीकरी	36.5	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	राजपुर	23.0	..	..	..	..	कपास	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	सेंधवा	23.0	..	..	..	..	अन्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पानसेमल	87.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पाटी	54.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	अंजड	29.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बरला	76.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	निवाली	85.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
35.	खण्डवा :	.. कम	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	खण्डवा	59.0	..	..	..	..	कपास	मूँगफली	तुअर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पुनासा	91.0	..	..	..	..	धान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खालवा	17.0	..	..	..	..	मक्का	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पंधाना	15.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	हरसूद	57.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
36.	बुरहानपुर :	..	..	..	..	..	कपास	..	..	अधिक	2%	समान	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बुरहानपुर	42.4	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	खकनार	21.8	..	..	..	..	ज्वार	..	..	कम	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	नेपानगर	31.0	..	..	..	..	मक्का	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	.. 64.7 31.8 76.4 162.2 5.8 12.7 100.0	पर्याप्त .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. ..	सोयाबीन मक्का मूंग उड़द मूंगफली तुअर	.. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. ..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. .. .. .. .. ..	6.(ब)अच्छी. .. .. .. .. .. ..	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	.. 92.0 58.0 91.4 8.2 3.0 27.4 5.0 .. .. .. 39.0	पर्याप्त .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. रोपाई चालू .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	सोयाबीन उड़द	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	सामान्य सामान्य	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. .. .. .. .. ..	6.(ब)सामान्य. .. .. .. .. .. ..	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	.. 16.02 22.4 40.6 ..	पर्याप्त .. .. .. ..	.. .. रोपाई चालू .. ..	.. .. .. .. ..	.. .. .. .. ..	सोयाबीन धान मक्का ज्वार	मूंग .. .. उड़द	.. .. .. ..	कम कम कम सामान्य	10% 20% 65% ..	समान समान सामान्य सामान्य	.. .. .. ..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. .. .. ..	6.(ब)अच्छी. .. .. .. ..	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	.. 23.6 55.0 17.0 95.0 162.0 7.0 37.0 132.0	कम .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. रोपाई चालू .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. ..	गन्ना सोयाबीन मक्का उड़द मूंग तुअर	.. .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. ..	कम कम समान कम सामान्य कम	50% 5% .. 25% .. .. 15%	सामान्य .. .. .. .. .. .. .. ..	.. .. .. .. .. .. .. .. ..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त, .. .. .. ..	6.(ब)अच्छी. .. .. .. ..	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.









1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
52.	बालाघाट :		252.4	पर्याप्त	फसल खड़ी	..	..	..	धान	..	..	अप्राप्त	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		165.7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी		221.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर		102.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर		281.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी		273.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी		285.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा		157.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी		140.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा		76.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा		78.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 19 अगस्त, 2020**

1. **मौसम एवं वर्षा**—प्रायः राज्य में मौसम मेवाछादित रहा. राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. **प्रारंभिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव** :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव** :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.

4. **धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव** :-राज्य के कुछ जिलों में रोपाई चालू है.

5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव** :-कोई प्रभाव प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं.

7. **अन्य असामयक घटना से क्षति** :- कोई क्षति नहीं.

8. **फसल स्थिति** :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **सिंचाई**:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. **पशुओं की स्थिति**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.













1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
18.	अनूपपुर :	..	पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	धान	मक्का	सोयाबीन	अधिक	2%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	जैतहरी	364.8	..	बोनी चालू	..	..	..	तुअर	उड़द	मूँगफली	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
	अनूपपुर	234.5	..	रोपाई चालू	..	..	..	ज्वार	..	..	सामान्य	..	समान	..	..	..	..	..	..
	कोतमा	363.4	..	..	..	..	..	तिल	..	..	कम	..	समान	..	..	..	..	..	..
	पुष्पराजगढ़	598.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19.	उमरिया :	..	पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बांधवगढ़	347.4	..	रोपाई चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पाली	129.6	..	बोनी चालू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	चंदिया	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	नौरोजाबाद	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	मानपुर	161.4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20.	सीधी :	..	पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	धान	..	..	समान	..	सामान्य	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	गोपदवनास	142.6	..	..	..	..	..	तुअर	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
	सिंहावल	42.2	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	मझौली	82.0	..	..	..	..	..	मक्का	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
	कुसमी	91.6	..	..	..	..	..	तिल	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	चुरहट	69.0	..	..	..	..	..	उड़द	..	..	समान	..	समान	..	..	..	..	..	..
	बहरी	95.6	..	..	..	..	..	मूँग	..	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	रामपुरनैकिन	70.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21.	सिंगरौली:	..	पर्याप्त	जुताई चालू	..	..	..	मक्का	..	..	समान	..	सुधरी हुई	2%	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	चितरंगी	54.6	..	बोनी चालू	..	..	..	तुअर	..	..	कम	2%	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
	देवसर	38.8	..	रोपाई चालू	..	..	..	उड़द	ज्वार	..	समान	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	सरई	106.0	..	..	..	..	..	धान	..	..	कम	15%	सुधरी हुई	2%	..	..	..	..	..
	माडा	97.0	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	सिंगरौली	..	..	..	..	..	..	तिल	..	..	सामान्य	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..







1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
33.	खरगौन :	.. पर्याप्त	जुलाई चालू	..	..	..	..	ज्वार	कपास	तुअर	कम	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वाह	62.0	..	बोनी चालू	..	..	..	मक्का	सोयाबीन	मूँगफली	अधिक	..	..	..	..	..	..	..	..
	महेश्वर	73.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सेगांव	60.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खरगौन	35.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	गोगावां	61.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कसरावद	60.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	भगवानपुरा	52.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	भीकनगांव	89.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सनावद	71.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	झिरन्या	73.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
34.	बड़वानी :	.. कम	..	..	..	..	..	मक्का	गन्ना	..	सामान्य	..	..	..	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बड़वानी	60.4	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	ठीकरी	62.4	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	राजपुर	32.0	..	..	..	..	..	कपास	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	संधवा	78.0	..	..	..	..	..	अन्य	..	..	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..
	पानसेमल	135.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पाटी	33.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	अंजड	35.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बरला	85.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	निवाली	156.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
35.	खण्डवा :	.. कम	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	अधिक	2%	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	खण्डवा	266.0	..	..	..	..	..	कपास	मूँगफली	तुअर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पुनासा	78.0	..	..	..	..	..	धान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खालवा	133.0	..	..	..	..	..	मक्का	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	पंधाना	114.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	हरसूद	80.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
36.	बुरहानपुर :	..	..	..	..	..	..	कपास	..	..	अधिक	2%	समान	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	बुरहानपुर	90.0	..	..	..	..	..	सोयाबीन	..	..	कम	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	खकनार	174.1	..	..	..	..	..	ज्वार	..	..	कम	2%	सामान्य	..	..	..	..	..	..
	नेपानगर	94.0	..	..	..	..	..	मक्का	..	..	अधिक	5%	सामान्य	..	..	..	..	..	..











1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :	96.6	पर्याप्त	फसल खड़ी	..	..	..	धान	..	..	अप्राप्त	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट	70.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी	133.8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर	384.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर	87.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी	57.6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी	211.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा	77.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी	213.5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा	437.2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा	43.3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(901)

बी. बी. अग्निहोत्री,  
उप-आयुक्त,  
वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.